

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर

दिनांक :- 15/06/2026

क्रमांक-स्था/2026/124

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की पालना में जालोर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में कार्यरत महिला राज्य कर्मचारियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए पूर्व में समिति गठन के संबंध में जारी आदेशों को अधिकृत करते हुए 04/S.R.O./2015 दिनांक 14.08.2015 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार नवीन समिति का पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम एवं पद अधिकारी	समिति में पद	मोबाइल नंबर	मेल आई.डी.
1	श्रीमती दिव्या गोदारा, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 2, जालोर	अध्यक्ष	8003395860	acjm2-jal-rj@hcraj.nic.in
2	श्रीमती रेखा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर	सदस्य	7073493835	cjjm-jal-rj@hcraj.nic.in
3	श्री विश्वेश वशिष्ठ, प्रोटोकॉल ऑफिसर सह प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर	सदस्य सचिव	9414302239	vishvesh947@gmail.com
4	श्री भूपेश व्यास, कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर	सदस्य	9983343591	vyas21bhupesh@gmail.com
5	श्री अशोक शर्मा, रीडर ग्रेड प्रथम जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर	सदस्य	9461280028	sh.ashok70@gmail.com
6	श्रीमती नीलम व्यास, लिपिक ग्रेड द्वितीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जालोर	सदस्य	9460388807	vyasneelam11@gmail.com

समिति के समक्ष शिकायत पेश होने पर कमेटी उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करें।

शह-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जालोर

क्रमांक-स्था/2026/3408-3416

दिनांक :- 15/06/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राज.उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 2- श्रीमती दिव्या गोदारा, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, जालोर
- 3- श्रीमती रेखा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर
- 4- श्री विश्वेश वशिष्ठ/भूपेश व्यास/अशोक शर्मा/श्रीमती नीलम व्यास
- 5- समस्त न्यायिक कर्मचारीगण, जालोर मुख्यालय
- 6-

15/06/26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जालोर